



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218701
CG-DL-E-17032020-218701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 951]
No. 951]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ.1058(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 27 अगस्त, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3075(अ), तारीख, 22 अगस्त, 2019 और द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "द टाइम्स आफ इंडिया" (अंग्रेजी) तारीख 11 सितम्बर, 2019 और "दिव्य भास्कर" (गुजराती) में तारीख 12 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यातिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले में प्रस्तावित रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम : मेहसाणा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	नया सर्वेक्षण/ ब्लॉक संख्या		पुराना सर्वेक्षण/ ब्लॉक संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	हैक्टर में क्षेत्रफल	भूमि स्वामी/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	6	7	8	9
1			732		127		निजी	खेती	0.2641	पटेल अमृतभाई गंगारामदास पटेल दशरथभाई गंगारामदास पटेल पुंजीरामभाई गंगारामदास
2	कड़ी	घुमासन	735		111		निजी	खेती	0.1203	पटेल शामलभाई खोडीदास पटेल बलदेवभाई खोडीदास पटेल रामभाई सेंधीदास पटेल वेणीभाई सेंधीदास पटेल पसाभाई सेंधीदास पटेल माधाभाई सेंधीदास पटेल जयंतीभाई शंकरदास पटेल सविताबेन अंबालाल की विधवा पटेल भरतकुमार अंबालाल पटेल भगवतीबेन अंबालाल पटेल शैलेशकुमार अंबालाल पटेल अरुणाबेन अंबालाल पटेल सविताबेन खोडाभाई की विधवा पटेल जगदीशभाई खोडाभाई पटेल गीताबेन खोडाभाई पटेल शैलेशकुमार खोडाभाई पटेल सरलाबेन खोडाभाई
3			736		112		निजी	खेती	0.1339	पटेल गोविंदभाई ईश्वरभाई
4			737		113/2		निजी	खेती	0.0076	पटेल गोविंदभाई ईश्वरभाई
5			738		113/1		निजी	खेती	0.0502	पटेल गोविंदभाई ईश्वरभाई

6			803		130		निजी	खेती	0.1934	रबारी रणछोड़भाई सरतानभाई रबारी दीवाबेन सरतानभाई
---	--	--	-----	--	-----	--	------	------	--------	--

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/1099]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1058(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3075(E), dated the 22nd August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub – section (ii), dated the 27th August, 2019 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Mehsana in the State of Gujarat.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India” (English), dated the 11th September, 2019 and “Divya Bhaskar” (Gujarati) dated the 12th September, 2019 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Mehsana for Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the State of Gujarat.

Name of District: Mehsana

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	New Survey/Block Number		Old Survey/Block Number		Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owners/Interested Persons
1	2	3	4(a)	4(b)	5(a)	5(b)	6	7	8	9
1	Kadi	Ghumasan	732		127		Private	Agriculture	0.2641	Patel Amrutbhai Gangaramdas Patel Dashrathbhai Gangaramdas Patel Punjiramabhai Gangaramdas.

2			735	111	Private	Agriculture	0.1203	Patel Shamalbhai Khodidas Patel Baldevbhai Khodidas Patel Ramabhai Sendhidas Patel Venibhai Sendhidas Patel Pasabhai Sendhidas Patel Madhabhai Sendhidas Patel Jayantibhai Shankardas Patel Savitaben widow of Ambalal Patel Bharkatnagar Ambalal Patel Bhagwatiben Ambalal Patel Shaileshkumar Ambalal Patel Arunaben Ambalal Patel Savitaben widow of Khodabhai Patel Jagdishbhai Khodabhai Patel Geetaben Khodabhai Patel Shaileshkumar Khodabhai Patel Sarlaben Khodabhai.
3			736	112	Private	Agriculture	0.1339	Patel Govindbhai Ishvarbhai.
4			737	113/2	Private	Agriculture	0.0076	Patel Govindbhai Ishvarbhai.
5			738	113/1	Private	Agriculture	0.0502	Patel Govindbhai Ishvarbhai.
6			803	130	Private	Agriculture	0.1934	Rabari Ranchhodbhai Sartanbhai Rabari Deevaben Sartanbhai

[F. No. 2020/LML-II/12/1/WC/1099]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land and Amenities-1)